न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता ,बुण्डू(राँची)

RM वाद संख्या–BC–01/14–15

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता– राम प्रसाद महतो, पिता–स्व0 नेहला महतो
ग्राम+पो0–बाबुरामडीह , थाना–तमाड़, जिला– राँची।
जाति–कुरमी, पेशा–खेती

क्रेता का नाम एवं पता– बुटन चंद्र महतो पिता–स्व0 जगन्नाथ महतो
ग्राम+पो0–बाबुरामडीह , थाना–तमाड़, जिला– राँची।
जाति–कुरमी, पेशा–खेती

विद्वान अधिवक्ता का नाम– श्री आर0 महतो

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–08.11.14 को क्रेता श्री बुटन चंद्र महतो पिता–स्व0 जगन्नाथ महतो, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना न0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बाबुरामडीह	तमाड़	189	22	1042	0.53ए0 मध्ये 0.12ए0 (बारह डीसमिल)

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी , तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी , तमाड़ पत्रांक–561(II) दिनांक–26/12/2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि:–

(क) प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते कीहै। खतियानी रैयत का नाम–अमर सिंह महतो वल्द गुरूआ महतो कौम कुरमी वैगरह दर्ज है। पंजी–2 के अनुसार रैयत का नाम–मांगू महतो वगैरह दर्ज है आवेदक के दादाजी है।

(ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 5.49 एकड़ भूमि शेष बच जाती है।

(ग) आवेदक को घर बनाने एवं ऋण चुकाने हेतु वह 2,000(दो हजार रु0) प्रति डीसमील की दर से कुल 24,000(चौबीस हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं।

(घ) दोनों क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति (कुरमी) के सदस्य हैं। एवं एक ही थाना क्षेत्र तमाड़ एवं एक ही जिले– राँची के निवासी है।

कृ०पृ०उ०

13/1/15

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी , तमाड़ ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत विक्रेता राम प्रसाद महतो, पिता–स्व0 नेहला महतो ग्राम+पो0–बाबुरामडीह , थाना–तमाड़, जिला– राँची (जाति–कुरमी, पेशा–खेती) को क्रेता बुटन चंद्र महतो पिता–स्व0 जगन्नाथ महतो ग्राम+पो0–बाबुरामडीह , थाना–तमाड़, जिला– राँची (जाति–कुरमी, पेशा–खेती) के हाथों प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–08.11.14 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने भी कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी , तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता राम प्रसाद महतो, पिता–स्व0 नेहला महतो ग्राम+पो0–बाबुरामडीह , थाना–तमाड़, जिला– राँची (जाति–कुरमी, पेशा–खेती) को क्रेता बुटन चंद्र महतो पिता–स्व0 जगन्नाथ महतो ग्राम+पो0–बाबुरामडीह , थाना–तमाड़, जिला– राँची (जाति–कुरमी, पेशा–खेती) के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत दी जाती है । आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना न0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बाबुरामडीह	तमाड़	189	22	1042	0.53ए0 मध्ये 0.12ए0 (बारह डीसमिल)

लेखापति एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 13/1/15

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू राँची।

(हस्ताक्षर) 13/1/15

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू राँची।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.21 11:53:48 +05:30
Location: 192.168.59.216